

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड
खुर्जा (बुलन्दशहर)
दूरभाष : 05738-232288



Office of the Executive Engineer
Paschimanchal Vidyut Vitran
Nigam Ltd.
Electricity Distribution Division
Khurja (Bulandshahr)
Phone : 05738-232288

पत्रांक : 3521 रा०/वि०वि०ख०/रा०/नलकूप दिनांक 20/11/2023
(पूर्ण जमा योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत)

लाईन खींचने के आदेश

विषयगत : सर्व श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्री शीशपाल सिंह
निवासी ग्राम बौरोला व पो० पहासू जिला बुलन्दशहर

उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय खुर्जा।

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उपभोक्ता 1008331511 ने इस कार्यालय के पत्रांक 3037 दिनांक 10.10.2023 एवं टी०सी० सं० 3328 दिनांक 02.11.2023 के अनुक्रम में दिनांक 18.11.2023 में सर्विस कनेक्शन नम्बर G-213/167828 वि०वि०खण्ड खुर्जा 7.5 कि०वा/के०वी० अश्व शक्ति के लिए तथा निम्नलिखित विधाओं के लिए अनुबन्ध कर लिया गया है। अतः आप उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे, उपभोक्ता ने कुल रुपये 69484 चलान संख्या पी-53830406 दिनांक 06.11.2023 को निम्न सारणी के अनुसार जमा कर दिया गया है।

विषय :

लाईन खींचने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी
यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा वाद-विवाद उत्पन्न
किया जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आवेदक
की होगी।

संलग्न- स्वीकृति अनुमान पत्र/बी०एण्ड एल० फार्म

Service Line Charges	4957.00
Security Deposit	2400.00
Loading Charge	00.00
Estimation Charge	62127.00
योग	69484.00

पत्रांक 3521/वि०वि०ख०/खुर्जा/नलकूप दिनांक 20/11/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- उपभोक्ता श्री श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्री शीशपाल सिंह निवासी ग्राम बौरोला व पो० पहासू जिला बुलन्दशहर।
- सहायक अभियन्ता मीटर, खुर्जा/अवर अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपभोक्ता का मीटर लगवाने की व्यवस्था करें एवं सीलिंग प्रमाण पत्र, खण्ड कार्यालय को प्रेषित करें कि संयोजन अविलम्ब स्वीकृत किया जा सके।
- अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र पहासू को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नलकूप के अधिकृत होने के पश्चात कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र अविलम्ब खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मीटर इण्डेंट की अग्रिम कार्यवाही की जा सके। साथ ही संयोजन को बिना मीटर लगाये ऊर्जाकृत न किया जाये।
- प्रबन्ध निदेशक प०वि०वि०नि०लि० विक्टोरिया पार्क मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 863 दिनांक 13.06.2022 के अनुपालन में संयोजन ऊर्जाकृत करने से पूर्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता नलकूप पर उचित क्षमता एवं गुणवत्ता का कैपिस्टर स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि निरीक्षण में कोई नलकूप संयोजन बिना कैपिस्टर के ऊर्जाकृत पाया जाता है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
KS

अधिशासी अभियन्ता
KS